.–14 फार्म सं0–562

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम– 120)

आदेश – पत्रक– ता0 .... से ....तक ।

जिला –गढ़वा   विविध वाद सं0–...12.../2020–21

केश का प्रकार–   अवैध जमाबंदी को रद्द करने के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
14.7.2020	उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, गढ़वा द्वारा पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में संलग्न आवेदन में आवेदक श्री विनोद प्रसाद एवं अन्य ग्राम–उंचरी द्वारा प्राप्त आवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम–उंचरी के खाता संख्या–62 गैरमजरूआ खाते की भूमि है तथा उक्त प्लॉट संख्या–457 रकबा–1.31 एकड़ लगभग विगत 150 वर्षो से हिन्दुओं के शमशान घाट के रूप में उपयोग होते आ रहा है। वर्तमान में जानकारी मिली की अलिजान अंसारी तथा असगर अंसारी पिता–शरीफ अंसारी उक्त भूमि का अवैध मांग कायम कराकर विक्री कर रहा है। उक्त भूमि में से 20 डी0 का मांग शमशान घाट के नाम भी चल रहा है। शमशान घाट पर जब लोग अतिक्रमण करने का प्रयास करने लगे तो वहां के लोगों ने इसक विरोध किया तथा कागजातों की जांच पड़ताल की। जानकारी मिली की वर्तमान पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–164/1 पर मदिना शेख वल्द जूड़ावन शेख तथा शरीफ शेख वल्द फतेह शेख के नाम पर कुल 1.90 एकड़ भूमि का मांग चल रहा है। जिसमें खाता संख्या–62 प्लॉट संख्या–643 रकबा–01.39 एकड़, प्लॉट संख्या–445 रकबा–0.20 एकड़ तथा प्लॉट संख्या–457 रकबा–01.30 एकड़ भूमि दर्ज किया गया है। पंजी–2 के उक्त पृष्ठ को देखने से पता चलता है कि पंजी में अंकित नाम तथा भूमि के व्यौरे का स्याही भी भिन्न–भिन्न है एवं पृष्ठ पर खरोंच भी है, एवं उद्धत किया गया है कि मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–171/1 से नकल किया गया है। मांग पंजी–2 के भौलूम 01 वर्तमान में सुरीक्षत है तथा उसी पंजी के पृष्ठ सख्या–164/1 पर मांग दर्ज किया गया है तो स्वयं संदेहास्पद है तथा पृष्ठ संख्या–171/1 पर शिवपूजन विश्वकर्मा पिता–बसेरी मिस्त्री रैयत का मांग चल रहा है। उक्त पृष्ठ पर न तो मदीना शेख का नाम है ना ही जुड़ावन शेख का नाम है। अन्य जानकारी लेने पर पता चला कि उक्त भूमि से संबंधित एक पंचायत वर्ष 1969 में हुआ था। उसमें शरीफ शेख वगैं0 ने चैनपुर राजा से केवाला द्वारा जमीन खरीदने की बात बतलायी थी तथा यह स्वीकार किया गया कि उक्त 01.31 एकड़ भूमि खाता संख्या–62 प्लॉट संख्या–457 को शमशान घाट गुरदघटिया की भूमि स्वीकार की उसे छोड़ दिया गया था। परन्तु कागजात के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि मांग पंजी पर जालसाजी एवं धोखाधड़ी से रकबा एवं प्लॉट अंकित कर शमशान घाट जैसे सार्वजनिक स्थल को लुटने की साजिश की जा रही है। जिससे इलाके में शांति भंग होने की प्रवल संभावना बन गयी है तथा किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है। चैनपुर इस्टेट के द्वारा ग्राम–उंचरी के किसी भूमि पर रिर्टन दाखिल नही किया गया न ही उनके नाम से (एम0 रॉल) लगान निर्धारण हुआ है। अतः सम्पूर्ण खाता संख्या–62 की भूमि सरकारी भूमि है तथा जमींदारी उन्मुलन के बाद उक्त भूमि से हस्तांतरित करने का अधिकार भूतपूर्व जमींदार (मध्यवर्ती) को नही था। अतः सम्पूर्ण केवाला ही प्रभाव शून्य एवं गैर कानूनी है एवं सरकारी भूमि लूटने के लिए भू0 माफियाओं द्वारा षडयंत्र रचकर जाली कागजात बनाकर लॉक भूमि को लूटने की साजिस किया जा रहा है। आवेदकगण अवैध मांग को रद्द करने की मांग की है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। 14.7.2020 अंचल अधिकारी गढ़वा।	

Scanned with CamScanner

अभिलेख उपस्थापित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का ज प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम–उंचर के खाता संख्या–62 प्लॉट संख्या–457 रकवा–01.31 एकड़ का राजस्व कागजातों से जांच किया उसमें पाया गया कि आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान गै0मा0 खाते की भूमि है। जिसका कुल रकवा–01.31 एकड़ है। मांग पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–164/1 में मदिना शेख वल्द जुड़ावन शेख वो शरीफ शेख पिता–पतेह शेख के नाम पर कुल अन्य खाता प्लॉट के साथ 2.90 एकड़ का मांग चलता था। विक्री के पश्चात वर्तमान में मांग 0.45 एकड़ का चल रहा है। चल रहे मांग पंजी–2 में अवैध रूप से मांग खोला हुआ प्रतीत होता है। प्राधिकार कॉलम में किसी पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। पंजी–2 में दर्ज मांग एवं रकवा में खरोच कर दर्ज किया हुआ है तथा मांग पुराना पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–171/1 से नकल किया गया है। पुराना पंजी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान पंजी भौलूम एक चल रहा है जिसमें 171/1 में शिवपुजन विश्वकर्मा पिता–वसेरी मिस्त्री के नाम पर दर्ज है जो खोला गया मांग अवैध प्रतीत होता है। आवेदकगण के कथन से स्थल देखने से भी प्रतीत होता है कि शमशान घाट है।

ग्राम–उंचरी के खाता संख्या–62 प्लॉट संख्या–457 रकवा–01.31 एकड़ के साथ अन्य खाता प्लॉट रकवा का मांग अवैध एवं संदिग्ध रूप से खोला हुआ प्रतीत होता है। जिसे रद्द करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन आधार पर निम्नांकित जमाबंदियों को अवैध तरीके से नामांतरण स्वीकृत कर या अन्य माध्यम से खोला गया है, जो निम्न प्रकार हैं :–

मौजा का नमा	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (एकड़ में)	पंजी–2 के पृष्ठ संख्या	मांगधारी का नाम	मांग खोलने का प्राधिकार
1	2	3	4	5	6	7
उंचरी 241	62	457	0.04 1/4	29/21	उस्मान अख्तर पिता–हाजी शेख मोहम्मद	1520/2016–17
उंचरी 241	62	457	0.02	39/21	नुरूलहोदा सिद्धीकी पिता–शेख वलीइमोदीन	1511/2016–17
उंचरी 241	62	457	0.02	36/21	मो0 समसुल होदा सिद्धीकी पिता–शेख वलीइमोदीन	1512/2016–17
उंचरी 241	62	457	0.04 1/4	60/21	उसमान अख्तर पिता–शेर मोहम्मद	368/2014–15
उंचरी 241	62	457	0.03 3/4	61/21	नौशाद खां पिता–एहसान खां	369/2014–15
उंचरी 241	62	457	0.04	63/18	ऐसा खातून पति–मौलाना शकील अहम्मद	1327/2015–16
उंचरी 241	62	457	0.04 1/2	69/18	सुलताना खातून पिता–सुलेमान अख्तर	1308/2015–16
उंचरी 241	62 62	457 445	0.01 3/4 0.00 1/2	3/17	मोख्तार आलम पिता–एनायत खां	446/2014–15
उंचरी 241	62	457	0.03 3/4	43/7	आवदा खातून पति–इम्तेयाज अली	1929/2014–15

Scanned with CamScanner

उंचरी 241	62	457	0.20	95/17	शमसान घाट उंचरी	778/2015–16
उंचरी 241	62	457	0.02	97/15	एलाही खान पिता–खोदाबक्स खां	157/2011–12
उंचरी 241	62	457	0.03 3/4	46/21	शकीला बीबी पति–खताब अहम्मद	1640/2016–17
उंचरी 241	62	457	0.11 1/4	91/19	अलीजान अंसारी पिता–स्व0 शरीफ अंसारी	–
उंचरी 241	62	457	0.20	58/9	अलीजान अंसारी पिता–शरीफ अंसारी	703/2003–04
उंचरी 241	62 अन्य	457 अन्य	0.02 1/2 अन्य 0.04 135/1500	48/9	मो0 इसहाक अंसारी पिता–मो0 हबीब अंसारी	2175/2010–11
उंचरी	62	457	0.03 3/4	74/9	रहमतुल्लाह खां	982/2002–03
241	62	457	0.02		पिता–स्व0कमदार खां	981/2003–04

उपरोक्त जमाबंदियों/मांगों को विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत खारिज करने की ..... की जाती है।

अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गढ़वा को भेजें।

लेखापित एंव संशोधित ।

अंचल अधिकारी
गढ़वा

Scanned with CamScanner